

न्यायालय विशेष अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो-प्रथम, भदोही ज्ञानपुर।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 219 सन् 2026



UPSN010006672026

अमन वंशकार---बनाम---राज्य

09.03.2026

जमानत प्रार्थना-पत्र सुनवाई हेतु पेश हुआ। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र पर बल न दिये जाने का पृष्ठांकन किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

उल्लेखनीय है कि स्वयं प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र पर कोई बल न दिये जाने का कथन किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर बल न दिये जाने के कारण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या - 219 सन् 2026 बल न दिये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

दिनांक 09.03.2026

प्रभारी विशेष अपर सत्र न्यायाधीश/
पॉक्सो-प्रथम, भदोही ज्ञानपुर।